कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2747 /12–1 देहरादूनःदिनांकः 17 मई, 2025

सेवा में,
प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन,
वन अनुभाग–03।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में चण्ड़ाक बॉस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.955 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 के पत्रांक–154/X-4-15/1(67)/2015 दिनांक 30–03–2025.

महोदय,

उत्तराखण्ड़ शासन, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसकी सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगतनीय है कि मार्ग के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षोरोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जाएगी।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/ 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा अवगतनीय है कि नोडल खण्ड कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड द्वारा एन0पी0वी0 हेतु **रू0** 13,10,652.00 एवं **पथ वृक्षारोपण हेतु रू0** 18,00,000.00 जमा करायी जा चुकी है। **(संलग्नक–01)**
3.	प्रयोक्ता अभिकारण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। **(संलग्नक–02)**
4.	भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकर्म), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉमप्लेक्स फेज–01 लोधी रोड नई दिल्ली–110003 में जमा की गयी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0, प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छायाप्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(सलंग्नक–1 के अनुसार)**
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3 /2007– एफ0सी0, दिनांक 05.02.	एन0पी0वी0, प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की

	2009 के तहत दिए गये आदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी अलग निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकर्म), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉमप्लेक्स फेज–01 लोधी रोड नई दिल्ली–110003 में जमा कराने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई। धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	छायाप्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–01 के अनुसार)**
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	भू–वैज्ञानिक की शर्ते मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।**(संलग्नक–03)**
7.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के समस्त अभिलेख संलग्न है।**(संलग्नक–04)**
8.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है
9.	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–2747/ 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax&☎ 05964-225234

पत्रांकः– 6619 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ, 02, मई, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में चण्डाक बांस मोटर मार्ग पोखरी से रतवाली ततरोड़ा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.955 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0 10696/2015)।

संदर्भ– प्रस्तावक विभाग/प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ का पत्रांक 654/22याता दिनांक 22.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयक प्रकरण में एन0पी0वी0, सी0ए0 एवं अन्य मदों में पूर्व में जमा की गयी धनराशि परिवेश पोर्टल अंतर्गत Paid Show हो चुकी है तथा वर्तमान में विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।

अवगत कराना है कि प्रकरण में एन0पी0वी0 की नवीन दरों के आधार पर शेष धनराशि भी प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है, जो कि इस कार्यालय के पत्रांक 7116/12–1 दिनांक 23.04.2024 द्वारा पूर्व में सूचित किया गया है। साथ ही प्रकरण की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 801/12–1 दिनांक 16.08.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्याएं पुनः संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्याः– /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–
1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ को उपरोक्त कम में इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण की अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल में भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

संलग्नक - 1

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
With you - all the way

e-PayOrder Details

e-PayOrder Number	CN36244196
Debit Status	Success
Scheduled Time	27-May-2015 [12:00 AM] IST

27-May-2015

Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal

Seven Crores Forty Six Lakhs Twenty Eight Thousand Ninety Seven only 7,46,28,097.00

00000010901749156

DEHRADUN
"CN36244196"

316208SFTPUSER
Maker

Jagat Singh Chauhan
Authorizer 1

010027051542796

Counterfoil Description	E01002127051542794
Transaction Type	NEFT Funds transfer

Debit Account Details

Account No.	Branch	Amount
00000010901749156	DEHRADUN	7,46,28,097.00

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSCCode	Amount	Credit Status	UTR No.
Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal/037100101025229	NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORPORATION BANK/CORP0000371	7,46,28,097.00	Fund settled by RBI with beneficiary Bank	SBIN215147701748

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
पिथौरागढ़

Phone :– 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand

Website-http://pwd.uk.gov.in E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक /एन०पी०वी० दिनांक / /2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय – वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि के लिये आवंटन।

संदर्भ – *प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून का पत्रांक 409/25 बजट–टी०सी० (एन०पी०वी० एवं प्रतिकर भुग–रा०से०)/2015–16, दिनांक 18–05–2015.*

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2015–16 में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की सड़कों के लिये एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि ₹ 7,46,28,097.00 (₹ सात करोड़ छियालीस लाख अठ्ठाईस हजार सत्तानब्बे) मात्र का भुगतान संलग्न सूची के अनुसार ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से किया गया है।

1.	एन०पी०पी० भुगतान हेतु	₹ 4,55,16,177.00
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹ 1,35,30,206.00
3.	पथ वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹ 1,55,36,879.00
4.	मलवा निस्तारण	₹ 44,835.00
	योग	₹ 7,46,28,097.00

अर्थात कुल ₹ 7,46,28,097.00 मात्र आई०डी संख्या CC0100157105150043 के माध्यम से दिनांक 23–05–2015 द्वारा ***Compensatory Afforestation Fund(CAF), Uttaranchal S B A/c No. 0371001010025229*** कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में देय आपको प्रेषित किये जा रहे है। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्र की छायाप्रति भी संलग्न की जा रही है।

संलग्न – 1– आई०डी संख्या CC0100157105150043 की छायाप्रति।
2– संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

पत्रांक 1546 /एन०पी०वी० दिनांक 27/05/2015.

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं क्षेत्र, पौड़ी/नैनीताल।
4– प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
5– वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–I, लो०नि०वि०, देहरादून।
6– मुख्य अभियन्ता स्तर–I/स्तर–2, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
7– अधीक्षण अभियन्ता वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, सिविल वृत्त अल्मोड़ा (1)/नैनीताल (2)/पिथौरागढ़ (3)/हल्द्वानी (4)/गोपेश्वर (7)/देहरादून (9)/पौड़ी (12)/लो०नि०वि० अधीनस्थ खण्डों को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करेंगे।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

Phone :– 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand

Website-http://pwd.uk.gov.in E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक /एन०पी०वी० दिनांक / /2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय – वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि के लिये आवंटन।

संदर्भ – प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून का पत्रांक 409/25 बजट–टी०सी० (एन०पी०वी० एवं प्रतिकर भुग–रा०से०)/2015–16, दिनांक 18–05–2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2015–16 में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की सड़कों के लिये एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि ₹ 7,46,28,097.00 (₹ सात करोड़ छियालीस लाख अठ्ठाईस हजार सत्तानब्बे) मात्र का भुगतान संलग्न सूची के अनुसार ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से किया गया है।

1.	एन०पी०पी० भुगतान हेतु	₹	4,55,16,177.00
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹	1,35,30,206.00
3.	पथ वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹	1,55,36,879.00
4.	मलवा निस्तारण	₹	44,835.00
	योग	₹	7,46,28,097.00

अर्थात कुल ₹ 7,46,28,097.00 मात्र आई०डी संख्या CC0100157105150043 के माध्यम से दिनांक 23–05–2015 द्वारा ***Compensatory Afforestation Fund(CAF), Uttaranchal S B A/c No. 037100101025229*** कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में देय आपको प्रेषित किये जा रहे है। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्र की छायाप्रति भी संलग्न की जा रही है।

संलग्न – 1– आई०डी संख्या CC0100157105150043 की छायाप्रति।
2– संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।
दिनांक 27/05/2015.

पत्रांक 1546 /एन०पी०वी०

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं क्षेत्र, पौड़ी/नैनीताल।
4– प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
5– वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–I, लो०नि०वि०, देहरादून।
6– मुख्य अभियन्ता स्तर–I/स्तर–2, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
7– अधीक्षण अभियन्ता वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, सिविल वृत्त अल्मोड़ा (1)/नैनीताल (2)/पिथौरागढ़ (3)/हल्द्वानी (4)/गोपेश्वर (7)/देहरादून (9)/पौड़ी (12)/लो०नि०वि० अधीनस्थ खण्डों को तद्नुसार सूचित करने का कष्ट करेंगे।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

Phone :- 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand
Website-http://pwd.uk.gov.in E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक /एन०पी०वी० दिनांक

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

क्रमांक 3240
दिनांक 14/7/015
22 ...

विषय — वित्तीय वर्ष 2015—16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ — इस कार्यालय का पत्रांक 1546/एन०पी०वी०, दिनांक 27—05—2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015—16 में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की सड़कों के लिये एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि ₹ 7,46,28,097.00 (₹ सात करोड़ छियालीस लाख अट्ठाईस हजार सत्तानब्बे) मात्र का भुगतान संदर्भित पत्र द्वारा किया जा चुका है, जिसका U.T.R. No. SBIN215147701748 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

R.N. 3240/22 ... 15/7/015

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

(वाई०एन० राजवंशी),
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

पत्रांक 1687 /एन०पी०वी० दिनांक 6/6/2015.

प्रतिलिपि — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1— महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, ओवरॉय मोटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2— प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं क्षेत्र, पौड़ी/नैनीताल।
4— प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
5— वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर—1, लो०नि०वि०, देहरादून।
6— मुख्य अभियन्ता स्तर—1/स्तर—2, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
7— अधीक्षण अभियन्ता 12 वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, सिविल वृत्त अल्मोड़ा (1)/नैनीताल (2)/पिथौरागढ़ (3)/हल्द्वानी (4)/गोपेश्वर (7)/देहरादून (9)/पौड़ी (12)/लो०नि०वि० अधीनस्थ खण्डों को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करेंगे।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

अधीक्षण अभियन्ता
तृतीय वृत्त लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता

अधीक्षण अभियन्ता
तृतीय वृत्त लो०नि०वि०

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
With you - all the way

e-PayOrder Details

e-PayOrder Number	CN36244196
Debit Status	Success
Scheduled Time	27-May-2015 [12:00 AM] IST

27-May-2015

Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal

Seven Crores Forty Six Lakhs Twenty Eight Thousand Ninety Seven only

7,46,28,097.00

00000010901749156

DEHRADUN
"CN36244196"

316208SFTPUSER
Maker

Jagat Singh Chauhan
Authorizer 1

010027051542796

Counterfoil Description	E01002127051542794
Transaction Type	NEFT Funds transfer

Debit Account Details

Account No.	Branch	Amount
00000010901749156	DEHRADUN	7,46,28,097.00

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSCCode	Amount	Credit Status	UTR No.
Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal/037100101025229	NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORPORATION BANK/CORP0000371	7,46,28,097.00	Fund settled by RBI with beneficiary Bank	SBIN215147701748

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
पिथौरागढ़

... के प्रकरण, जिनमें भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पथ वृक्षारोपण की धनराशि जमा की जानी है, हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में आवटन।

अनु0सं0– 22, लेखाशीर्षक 5054–04–800–05–00–24 (आयोजनागत)

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	मार्ग / परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (है0)	जनपद	अपर प्रमुख नोडल अधिकारी एवं मुख्य वनसंरक्षक तथा अन्य पत्रों का संदर्भ जिनके द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने के निर्देश प्राप्त हुये है।	एन0पी0वी0 की देय धनराशि	क्षति0 वृक्षारोपण की देय धनराशि	पथ वृक्षारोपण की देय धनराशि	मलवा निस्तारण	योग (का. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	[illegible] मो0 मार्ग।	0.810	पिथौरागढ़	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्र संख्या 3162 / 1–41–4 देहरादून दि0 07.05.2015	726570	0	400000	0	1126570
19	[illegible] से ल्वांठी मो0 मार्ग।	1.620	पिथौरागढ़		1453140	463320	600000	0	2516460
20	[illegible]–बबई मो0 मार्ग का निर्माण।	3.227	रूद्रप्रयाग		2727153	839124	1400000	0	4966277
21	[illegible] निरवाली–धारकोट में झूलापुल का निर्माण।	0.030	रूद्रप्रयाग		197100	170000	0	0	367100
22	[illegible] से चौकी बर्सिल एवं खुजीर बैण्ड–चौकी बर्सिल से तमिल्ड [illegible] मो0 मार्ग का विस्तार।	0.990	रूद्रप्रयाग		650430	0		0	650430
23	[illegible]–बांसी–कोटली–रौडिया–जवाड़ी–रत्नासू–मल्यासू मो0 मार्ग का निर्माण।	8.908	रूद्रप्रयाग		7051484	0	0	0	7051484
24	जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत मक्कू सम्पर्क मो0 मार्ग।	0.074	रूद्रप्रयाग		625300	1001786	0	0	1627086
25	ननुवा गधेरा (सुवाकोट–पोखरी) में 11 मी0 लम्बाई में पैदल पुल का निर्माण।	0.800	नैनीताल		75120	0	245553	0	320673
26	ग्राम जखोल के निकट सांवनी में रूपिन नदी के ऊपर 80 मी0 लम्बी झूला पुल का निर्माण।	0.211	उत्तरकाशी		138500	0	102492	0	240992
	कुल योग:- (क्र0सं0 1 से 26 तक)				45516177	13530206	15536879	44835	74628097

फाईल नं0 25 बजट शीट–01 दि0 16.05.2015

अब आवंटित धनराशि: ₹ सात करोड़ छियालीस लाख अट्ठाईस हजार सतानब्बे मात्र।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
16.5.2015

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खं0 लो0 नि0 वि0
पिथौरागढ़

[illegible] निर्माण के प्रकरण, जिनमें भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पथ वृक्षारोपण की धनराशि जमा की जानी है, हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में आवंटन।

अनु0सं0– 22, लेखाशीर्षक 5054–04–800–05–00–24 (आयोजनागत)

(धनराशि ₹ में.)

क्र0 सं0	[illegible] का नाम	क्षेत्रफल (है0)	जनपद	अपर प्रमुख नोडल अधिकारी एवं मुख्य वनसंरक्षक तथा अन्य पत्रों का संदर्भ जिनके द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।	एन0पी0वी0 की देय धनराशि	क्षति0 वृक्षारोपण की देय धनराशि	पथ वृक्षारोपण की देय धनराशि	मलवा निस्तारण	योग (का. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[illegible]–[illegible]–मिकियासैण–मरचूला मो0 मार्ग।	13.842	अल्मोड़ा	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्र संख्या 3162/1–41–4 देहरादून दि0 07.05.2015	9094194	3958812	0	0	13053006
2	[illegible]–[illegible]–[illegible] मो0 मार्ग का चौडीकरण एवं सुधारीकरण।	0.015	अल्मोड़ा		0	0	0	44835	44835
3	[illegible]–[illegible] मो0 मार्ग का चौडीकरण एवं सुधारीकरण।	0.080	अल्मोड़ा		52560	80000	11944	0	144504
4	[illegible]–[illegible] मो0 मार्ग से गुरना बागेश्वर दफाट मो0 मार्ग।	1.820	बागेश्वर		1537900	520520	800000	0	2858420
5	[illegible] नालापानी मार्ग से कोटालगांव मो0 मार्ग।	0.9625	देहरादून		0	0	174890	0	174890
6	[illegible] से दुधई तक मो0 मार्ग।	2.8184	देहरादून		2646478	732784	0	0	3379262
7	जनपद देहरादून के अन्तर्गत सेलाकुई में केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को लीज पर दी गई 136.08 है0 वन भूमि में से हिमगिरी नव विश्वविद्यालय शीशमबाडा देहरादून के पहुंच मार्ग का निर्माण।	0.4320	देहरादून		383184	470000	482000	0	1335184
8	चण्डाक–मैरुला–तड़ीगांव मो0 मार्ग।	1.935	पिथौरागढ़		1352565	553410	800000	0	2705975
9	नाचर–कुमल्टा से गंगोलीहाट मो0 मार्ग। (नाचर कुमल्टा गंगोलीहाट [illegible])	0.819	पिथौरागढ़		734643	0	800000	0	1534643
10	कांटेगांव–साईखोला–सेरीकाण्डा मो0 मार्ग।	4.830	पिथौरागढ़		4332510	1381380	2000000	0	7713890
11	अडकिनी–जलतुड़ी मो0 मार्ग।	0.982	पिथौरागढ़		880406	0	500000	0	1380406
12	भण्डारीगांव–रजवार–बोक्टा–धुराली मो0 मार्ग।	3.870	पिथौरागढ़		3471390	1106820	2000000	0	6578210
13	सिलोनी–चिमताली–मैंसढूंगा–मझेड़ा–चौरा–जमतड़ी मो0 मार्ग।	2.610	पिथौरागढ़		2341170	746460	1200000	0	4287630
14	चण्डाक–बांस मो0 मार्ग (पोखरी) से रतवाड़ी ततरोड़ा मो0 मार्ग।	0.955	पिथौरागढ़		667545	0	1800000	0	2467545
15	रोडीपाली–रसियापाटा मो0 मार्ग।	2.295	पिथौरागढ़		2058615	656370	1000000	0	3714985
16	आपदाग्रस्त एंचोली–जाख–पुरांन मो0 मार्ग।	2.970	पिथौरागढ़		2076030	849420	820000	0	3745450
17	आपदाग्रस्त बड़ावे–उण्डणा–फुसरखाली–गोधागैर–खर्कगैर मो0 मार्ग।	0.270	पिथौरागढ़		242190	0	400000	0	642190

[illegible signature]
16.5.2015

सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0 लो0 नि0 वि0 [illegible]

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।
E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234
पत्रांकः— 420/12—1 दिनांक, पिथौरागढ़, 25 जुलाई, 2022।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत चण्डाक बांस मोटर मार्ग के किमी0 9.00 पोखरी से रतवाली (ततरोड़ा) तक मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की नवीन संशोधित दर के अनुसार धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0: FP/UK/ROAD/10696/2015)।

संदर्भ :— भारत सरकार की पत्र सं0 5-3/2011-FC दिनांक 06.01.2022 व भारत सरकार का पत्र दिनांक 19.01.2022।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्रों के कम में ऐसे प्रकरण जो कि दिनांक 06.01.2022 के बाद स्वीकृत हैं, अथवा ऐसे प्रकरण जिनमें कि सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के बाद 05 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका हो, में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के कम में एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार शेष धनराशि जमा की जानी अनिवार्य हैं। अतः उक्त के कम में एन0पी0वी0 की नवीन दरों के अनुसार पुनः संशोधित डिमाण्ड नोट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क0 सं0	मद	इकाई	दर	कुल धनराशि	पूर्व में जमा धनराशि	जमा किये जाने योग्य शेष धनराशि (रु0)
1	एन0पी0वी0	0.955 हे0	1372410/— (ईको क्लास—VI) घनत्व 0.4	1310651.55/—	667545/—	643106.55 या **643107.00**

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट के सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्याः— 420/12—1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संलग्नक-2

प्रपत्र–43

परियोजना का नामः— चण्डाक बांस मोटर मार्ग के किमी0 9.000 पोखरी से रतवाली (ततरोड़ा) तक मोटर मार्ग।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0
पिथौरागढ़

संलग्नक–3

प्रारुप–34

परियोजना का नामः– चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0 नि0 वि0
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खं0 (प्रयोक्ता एजेन्सी) वि0
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खं0 लो0 नि0 वि0
पिथौरागढ़

संलग्नक-4

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. राजीव कुमार I.A.S deputy commissioner,. पिथौरागढ़ on dated 3/3/15.... at time .3:30.P.m.at पिथौरागढ़ in which application claiming rights in **Van Bhumi** area measuring **0.955** hect for the construction of चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of पिथौरागढ़ sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; पिथौरागढ़

Dated: 03/03/2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No--- Dated---3/3/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.955 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Work Department for in Pithoragarh district falls within jurisdiction of चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोड़ा तक मोटर मार्ग village (s) in Bin (Pithoragarh) tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.955 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग (0.045 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.630 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.280 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.955 हे0 वन भूमि) का प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 03/03/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनुराग आर्या उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अनुराग आर्या –उपजिलाधिकारी – पिथौरागढ़ –अध्यक्ष
2– श्री आशीष कुमार –उप प्रभागीय वनाधिकारी– पिथौरागढ़ –सदस्य
3– श्री दीप [illegible] –सहायक समाज कल्याण अधिकारी– पिथौरागढ़ –सदस्य/सचिव
4– श्री संजय राम –बी0डी0सी0 क्षेत्र – मझेड़ा –सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग, परियोजना हेतु 0.955 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड – पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.955 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिला अधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़
उप जिला अधिकारी पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग ।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम मझेडा रतवाली
तहसील पिथौरागड जिला पिथौरागड

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग।परियोजना के निर्माण हेतु (0.045 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.630 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.280 हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.955 हे0 वन भूमि का प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मझेडा रतवाली द्वारा दिनांक   को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही है।

* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मझेडा रतवाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ग्राम पंचायत मझेड़ा
वि.ख.-बिण, पिथौरागढ़

सरपंच
वन पंचायत रतवाली

प्रपत्र - 30.3

निरापत्ति प्रमाण पत्र

हमारे ग्राम हेतु स्वीकृत मोटर मार्ग जो कि **बॉस ऑवलाघाट मो0मार्ग के कि0मी0 9.00 मे** [illegible]खरी **से रतवाली ततरोडा तक है**, के निर्माण में प्रभावित होने वाली समस्त भूमि नाप,बेनाप, [illegible]र बगीचे आदि को निशुल्क देने में किसी भी ग्रामवासी को कोई आपत्ति नहीं है,व न ही [illegible] में होगी। साथ ही समस्त ग्रामवासी यह भी आश्वस्त करते हैं कि मार्ग निर्माण में अपना [illegible] सहयोग विभाग को देंगें।

[illegible] चन्द्र जोशी - [signature]
1- नीलाम्बर [illegible] [signature]
3- त्रिभुवन जोशी — T.C. Joshi
4- नवीन चन्द्र जोशी [signature]
5 - मनोज कुमार जोशी [signature]
[illegible] - राजेन्द्र प्रसाद जोशी [signature]
[illegible] - [illegible] [signature]
[illegible] - [illegible] जोशी [signature]
[illegible] - गोवर्धन जोशी [signature]
[illegible] - भूपेन्द्र जोशी [signature]
- कपिल जोशी [signature]
[illegible] - [illegible] जोशी [signature]
3 - अशोक जोशी [signature]
4 -
5 -

[illegible] प्रति प्रमाणित
[signature]
सहायक अभियन्ता
[illegible] खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ

[signature]
सरपंच
[illegible] पंचायत [illegible]

[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
वि.ख.-बिण, पिथौरागढ

वन पंचायत रतवाली ग्राम पंचायत मड़खेड़ा, जनपद पिथौरागढ़ की बैठक दिनांक 24-11-2013 को बैठक में पारित प्रस्ताव सं0 1- की सत्य प्रतिलिपि :-

प्रस्ताव सं0 1:- ग्राम रतवाली मुख्य मोटर मार्ग से दूरी पर स्थित होने के कारण यहां के वासियों द्वारा मुख्य सड़क मोटर मार्ग से गांव को जोड़ने हेतु (वण्डाक बांस) मोटर मार्ग से ग्राम रतवाली तक सड़क निर्माण किये जाने की मांग जन प्रतिनिधियों एवं सरकार से समय समय पर की गयी है। वर्तमान में जिला योजना के अन्तर्गत 1 कि0मी0 सड़क का निर्माण इस गांव हेतु प्रस्तावित है। यह सड़क वण्डाक बांस मोटर मार्ग से वन पंचायत रतवाली के करौंजर तोक से होते हुये गांव तक पहुंचेगी। रोड के निर्माण से वन पंचायत रतवाली का आंशिक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जनहित को देखते हुये ग्रामवासियों को वन पंचायत क्षेत्र में सड़क बनने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

सत्य प्रति प्रमाणित

सरपंच
वन पंचायत रतवाली
24.11.2013

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़